न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः प्रज्ञा केवलरमानी, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 08/2025 आर्म्स अपील (GCMS/2025/174)
पंजीयन दिनांक – 29.07.2025
निर्णय दिनांक – 25.02.2026

भोपाल सिंह पंवार पिता श्री केसर सिंह पंवार, सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी, निवासी खुमाणपुर पोस्ट कतिसौर, तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर (राज.)

–प्रत्यर्थी

उपस्थिति दौराने बहसः–

1. जय कृष्ण दवे – वकील अपीलार्थी
2. राजकीय पेरोकार मुरलीधर पालीवाल – वकील प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा–18 आयुध अधिनियम, 1959 विरूद्ध जिला मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर के आदेश क्रमांक न्याय/एफएन. 21(2)आर्म्स/विविध/12/629 दिनांक 13.05.2025

निर्णय

दिनांक 25.02.2026

यह अपील अपीलार्थी ने शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा–18 के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर के आदेश न्याय/एफएन.21(2)आर्म्स/विविध/12/629 दिनांक 13.05.2025 के विरूद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है–

- अपीलार्थी ने आर्म्स अनुज्ञापत्र नवीनीकरण हेतु जिला मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर को प्रस्तुत किया। प्रकरण में जिला पुलिस अधीक्षक, डूंगरपुर से रिपोर्ट ली जाकर आर्म्स अनुज्ञाधारी के विरूद्ध प्रकरण संख्या 137/23 दिनांक 30.03.2023 धारा 447, 427, 323, 34 आई.पी.सी. में दर्ज होकर जैर तफ्तीश हो माननीय दाण्डिक

न्यायालय में विचाराधीन होने, समस्त दर्ज धाराएं मानव शरीर को क्षति कारित करने से संबंधित होने तथा शस्त्र अनुज्ञाधारी के पास रखा जाना लोक हित एवं कानून व्यवस्था के दृष्टि से उचित प्रतीत नहीं होने से प्रस्तुत नवीनीकरण आवेदन जिला मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर द्वारा आदेश क्रमांक न्याय/एफएन. 21(2)आर्म्स/विविध/12/629 दिनांक 13.05.2025 से निलम्बित किया गया।

- उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की। उक्त अपील के साथ अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा–05 मयाद अधिनियम प्रस्तुत किया जिस पर निर्णय आरक्षित रखते हुए यह अपील दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थी को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर से अभिलेख तलब किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

- विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी होकर शांतिप्रिय एवं कानून की पूर्णत पालना करने वाला व्यक्ति है। अपीलांट के विरूद्ध कभी भी आर्म्स का दुरूपयोग करने की कोई शिकायत नहीं रही है। प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 137/2023 के संबंध में किसी भी न्यायालय में पुलिस द्वारा चालान प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही न्यायालय में ऐसा कोई प्रकरण विचाराधीन है।

- अपीलांट के विरूद्ध जो प्रकरण दर्ज होना बताया जा रहा है उसे फरियादी द्वारा डूंगरपुर समाज के स्वामित्व के छात्रावास की डूंगरपुर में स्थित करोड़ों रूपयों की बेशकिमती भूमि व भवन हड़प करने के लिए मिथ्या दर्ज करवायी गई है। उक्त फरियादी के विरूद्ध अपीलांट ने धारा 342, 341, 323, एवं 34 आई.पी.सी. प्रथम सूचना रिपोर्ट 136/2023 दर्ज करवायी है जिसमें झूठी प्रतिरक्षा करने के लिए उक्त वर्णित प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 137/2023 दर्ज करवाया है। इसके अतिरिक्त फरियादी के विरूद्ध राजपूत समाज के अध्यक्ष द्वारा धारा 467, 468, 471, 420, 406 एवं 120 बी आई.पी.सी. के अन्तर्गत थाना कौतवाली

डूंगरपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट 155/2023 दर्ज करवाई है। अपीलार्थी के विरूद्ध प्रकरण आपराधिक दुराशय का न होकर सम्पत्ति संबंधी दिवानी विवाद है। आरोपित अपराध जघन्य/गंभीर प्रकृति का न होकर सामान्य प्रकृति का है।

- अपीलार्थी कृषि कार्य से अपना जीवन यापन कर रहा है जिससे खेतों व फसलों की नीलगाय, जंगली सुअर, सियाल आदि से रक्षा करने एवं चोर चकारों से रक्षा करने के लिए तथा अपने परिवार की जानमाल की रक्षा के लिए आर्म्स की अत्यन्त आवश्यकता है। अपीलार्थी के गांव से करीब 15 कि.मी. दूर पुलिस थाना आसपुर है इसलिए अपीलार्थी को सुरक्षा के लिए बंदूक की हर समय आवश्यकता रहती है। जिला मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर द्वारा अपीलार्थी का आर्म्स अनुज्ञा पत्र बिना किसी आधार एवं नियमों के विरूद्ध निलम्बित कर दिया। अतः उक्त आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जावें।

- विद्वान राजकीय पेरोकर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को विधि सम्मत बताते हुए अपीलाधीन निर्णय को यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

- *हमने उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन एवं मनन किया। न्यायहित में विलम्ब अवधि कन्डोन करते हुए गुणावगुण पर निर्णय किया जाता है। प्रकरण में जिला मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर द्वारा दिनांक 13.05.2025 को जिला पुलिस अधीक्षक की दिनांक 27.03.2025 की रिपोर्ट के आधार पर शस्त्र अनुज्ञापत्र को निलम्बित किया गया जिसमें प्रकरण संख्या 137/2023 दिनांक 30.03.2023 में 447, 427, 323–34 आईपीसी में दर्ज जैर तफ्तीश प्रकरण जिसमें चालान प्रस्तुत नहीं हुआ है, को आधार मानते हुए बगैर अपीलांट को अपना पक्ष प्रस्तुतीकरण का मौका दिए आदेश पारित कर दिया गया।*

उपरोक्त पृष्ठभूमि में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि कथित लम्बित प्रकरण

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

की अद्यतन स्थिति ज्ञात की जाकर, अपीलार्थी को न्यायहित में सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए समस्त पहलुओं का विश्लेषण किया जाकर, नए सिरे से 03 माह में निर्णय पारित किया जावे। अपीलार्थी दिनांक 30.03.2026 को सुनवाई हेतु जिला मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर के समक्ष उपस्थित हों।

न्यायालय संभागीय आयुक्त उदयपुर

(प्रज्ञा केवलरमानी)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

संभागीय आयुक्त उदयपुर (राज.)

निर्णय आज दिनांक 25.02.2026 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रज्ञा केवलरमानी)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

संभागीय आयुक्त उदयपुर (राज.)